भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2064

दिनांक 21 **मार्च**, 2022

पेट्रोलियम उत्पादों की आयात लागत

2064. **श्रीमती फूलो देवी नेतम**:

डा.एल.हनुमंतय्या:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2016-17 और 2020-2021 के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की आयात लागत में 39.6 प्रतिशत की वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 2016 से अब तक आयातित प्राकृतिक गैस की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, साथ ही संबंधित वर्षों के आयात बिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल के आंकड़ों के आलोक में, जिसमें पता चला है कि भारत के प्राकृतिक गैस आयात बिल में अप्रैल और दिसंबर 2021 के बीच 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह वर्ष 2022 तक कच्चे तेल के आयात को 10 प्रतिशत तक कम करने की सरकार की योजना को कैसे प्रभावित करेगी?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम (ओपीएसयूज) घरेलू बाजार में आपूर्ति और मांग के अंतर को खत्म करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के आयात करते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल में बुनियादी तौर पर मांग में वृद्धि के कारण मात्रा में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि और विनिमय दर में बदलावों के कारण वर्ष 2016-17 की तुलना में 2020-21 में 39.6% की वृद्धि हुई है।

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्राकृतिक गैस के आयात (मात्रा और मूल्य) के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

	मात्रा	मूल्य	
	एमएमएससीएम	अमरीकी डालर (बिलियन)	रुपए(करोड़)
2016-17	24849	6.1	41084

2017-18	27439	8.1	52122
2018-19	28740	10.3	71867
2019-20	33887	9.5	67383
2020-21	33031	7.9	58129
2021-222 (अप्रैल-जनवरी) (अनं)	26785	9.9	73899

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ

एमएमएससीएम: मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल के आ यात पर निर्भरता में कमी करने के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों/पणधारकों के सहयोग से काम करता है। वर्ष 2014 से सरकार ने रिफाइनरी प्रक्रिया सुधारों तथा उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था, खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत विभिन्न नीतियों, नेशनल डेटा रिपोजिटरी की स्थापना आदि के जरिए देश में तेल के आयात पर निर्भरता में कमी करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने इलैक्ट्रोनिक सिंगल विंडो व्यवस्था सहित अनुमोदन प्रदान करने संबंधी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करके राष्ट्रीय तेल कंम नियों को कार्यात्मक आजादी उपलब्ध करवाई है और निजी क्षेत्र को व्यापक भागीदारी का अवसर प्रदान किया है।

सरकार ने देश में जैव ईंधनों की उपलब्धता तथा वैकल्पिक ईंधनों जैसे एथेनॉल, जैव डीजल तथा एथेनॉल मिश्रण के माध्यम से जैव सीएनजी, जैव डीजल मिश्रण तथा किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 शुरू की है।

'वर्ष 2021-22 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता में 10 प्रतिशत की कमी करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने' के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी जिसमें पंच उद्देश्यीय कार्यनीति की परिकल्पना की गई है जिसमें मोटे तौर पर तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना, मांग प्रतिस्थापन पर जोर देना, जैव ईंधनों तथा अन्य वैकल्पिक ईंधनों/नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करना और रिफाइनरी प्रक्रिया सुधारों के लिए उपायों को कार्यान्वित करना शामिल है।

*****